न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 90 / 2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सुमिता पुत्री अमर सिंह पत्नी सरदार सिंह उम्र 25 साल जाति जाट निवासी डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद मिलो की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 अमर सिंह पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 उप पंजियक मुकुन्दगढ़ उप तहसील मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक
25.07.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ उनवानी सुमिता बनाम अमर सिंह
मुकदमा नम्बर 143 / 2017

उपस्थित

1. श्री कमलेश अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

अपर जिला कलेक्टर एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 27-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 143/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम डुमरा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 0.1550 हैक्टेयर खसरा नम्बर 146 रकबा 1.1500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल किता 1.3050 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 107 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1337/146 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि स्थित है उपरोक्त भूमि पहले आवेदिका के दादा नारायण के कब्जे काश्त की भूमि थी। उनके फौत हो जाने के कारण उक्त भूमि आवेदिका के पिता अमरसिंह व दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम से दर्ज हो गई जिसमें आवेदिका का बाई बर्थ राइट है। उक्त भूमि रेस्पोडेंट अमर सिंह खुर्द बुर्द व विक्रय करना चाहता है जिसका अकेले अमर सिंह को कोई अधिकार नही है इसलिये अपने अधिकारो की रक्षार्थ अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के यहां एक दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था। जिसके प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 25.07.2018 को अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला नही मानते हुये खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि अदालत मातहत ने अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला इस आधार पर नही माना कि अपीलांट रेस्पोडेंट नम्बर 1 की पुत्री नही है जबकि इस बिन्दु का विवाद ही नही था व यह बिन्दु तनकियात कायम कर मूल दावा में साक्ष्य आने के बाद तय होती कि अपीलांट रेस्पोडेंट नम्बर 1 की पुत्री

Lavio

अपर जिला कलेक्टर एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है या नही। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपना विवाह प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें पिता के हस्ताक्षर मौजूद है विवाह प्रमाण पत्र में मूल निवास प्रमाण पत्र में परिवार कार्ड में, सभी में अपीलांट का नाम के आगे बतौर पिता अमर सिंह दर्ज है। वर्तमान में विवाद का बिन्दु यह था कि अगर रेवेन्यू रिकार्ड का फायदा उठाये हुये अमर सिंह वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द विक्रय कर देता है तो अपीलांट के राईट प्रभावी होगें। इसलिये अदालत मातहत को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करना चाहिये था जो अस्वीकार कर अदालत मातहत ने गलती कानूनी की है। अदालत मातहत के समक्ष एक बिन्दु यह रहा कि अपीलांट को रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने गोद की पुत्री लेकर उसकी शादी की उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाया व मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया। एक बार दत्तक ग्रहण करने के पश्चात स्वंय के जन्म के बच्चे के अनुसार ही गोद गये बच्चे के अधिकार सर्जित हो जाते है। इस बिन्दु पर भी अदालत मातहत ने गोर नही कर गलती कानूनी की है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा दी जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आवेदिका रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है अमर सिंह की जायन्दा पुत्री नही है गोद का दस्तावेज पेश नही किया है। विचारण न्यायालय ने तीनों घटको का विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नकल जमाबंदी ग्राम डूमरा संवत 2069 से 2072 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 27/0.1550,146/1.15

किता 2 कुल रकबा 1.3050 हैक्टेयर की खातेदारी अमरसिंह पिता नाराना जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कुमावास मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 107/0.07,1337/146/0.01 किता 2 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर की खातेदारी अमरसिंह मोहनसिंह पिता नाराणा जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड में आवेदिका रिकार्डेड खातेदार नही है आवेदिका ने लिखित बहस में स्वीकार किया है कि आवेदिका अमरसिंह की जायन्दा संतान न होकर गोद ली हुई पुत्री है। सामान्यत गोद के बारे में यह उपधारणा रहती है कि गोद जाने वाले को उसके प्राकृतिक माता पिता द्वारा गोद देना व गोद लेने वाले द्वारा उसे गोद ग्रहिता के रूप स्वीकार किया गया हो। यहां इस तरीके का कोई दस्तावेज साक्ष्य आवेदिका द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि उसे अनावेदक नम्बर 01 द्वारा गोद लिया गया हो। अनावेदक द्वारा लिखित बहस में उसे गोद लेने से अस्वीकार किया है तथा मोहनलाल की लडकी बताया है साथ ही स्कूल का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदिका के पिता का नाम मोहनलाल व माता का नाम मन्जु देवी है। यद्यपि आवेदिका द्वारा विवाह प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिनमें पिता का नाम अमरसिंह है लेकिन उक्त समस्त दस्तावेजात सन 2010 के पश्चात के है जबकि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कक्षा 8 का प्रमाण पत्र व अंकतालिका आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से पहले की है शैक्षणिक दस्तावेजात में बच्चे के प्रवेश के समय ही माता पिता का नाम दर्ज किया जाता है। अत अनावेदक नम्बर 01 द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात की प्रमाणिकता को दरकिनार नही किया जा सकता है।

गोद का बिन्दु तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है जब तक अपीलांट सक्षम सिविल न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से गोद की घोषणा नही करवा देती है तब तक विवादित भूमि के सन्दर्भ में उसका हक हकुक तय नही किया जा सकता है विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर अपीलांट का आवेदन विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर